


2 No. 151 / XV



प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)

32, खानपुर विधानसभा (निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा इतराखण्ड (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, रियासत पुत्र/पुत्री/पत्नी मजीद  
आयु 43 वर्ष, जो शाह-इ-कद खुद, तंवाजिं-दीह

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। कोई नहीं  
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं... कोई नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) X जिला (जिले) X राज्य X

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है... कोई नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई... कोई नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था... कोई नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं... कोई नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

रियासत

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। नहीं

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :- नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... नहीं

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... नहीं

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... नहीं जिला (जिले) नहीं  
राज्य नहीं

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपी कभी आरोपित किया गया है नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... नहीं

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... नहीं

स्थान रूड़की  
तारीख 10/01/2012



रियासत  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

The content of the above Affidavit has been read and verified by me and I declare that the same is true and correct. I have not been bribed or influenced in any manner. The content of this Affidavit is true and correct and I have not been bribed or influenced in any manner. I have not been bribed or influenced in any manner.

रूड़की स्थान पर आज तारीख 10/01/2012 को सत्यापित किया।

रियासत

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर  
रियासत

टिप्पणी :- इस प्रमाण के विस्तार जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

**TESTED**  
Iqbal Ahmed  
**IQBAL AHMED**  
M.A. (Eng.) LL.B  
ADVOCATE & NOTARY  
ROORKEE  
District-HARIDWAR (U.K.)  
INDIA

**IDENTIFIED BY**  
Iqbal Ahmed  
5194/99 del  
रियासत  
रूड़की

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

नोटाधिकारी (रुड़की)  
कोड संख्या - 5500  
- 6 JAN 2012  
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 105407

शुद्ध-पत्र

CONTENTS ARE ENCLOSED  
HEREWITH



रिचासत